पंचदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-1 मंगलवार, दिनांक- 22 फरवरी, 2011 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.50 बजे अपराह्न तक ।

(1) माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रारम्भिक सम्बोधन :-

यथा संलग्न ।

(2) महामहिम राज्यपाल का संदेश :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने महामहिम राज्यपाल से प्राप्त संदेश से सदन को अवगत कराया-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, देवानन्द कुँवर, बिहार का राज्यपाल, एतद् द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 22 फरवरी, 2011 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में सम्बोधित करना चाहता हूँ और विधान सभा वेश्म, पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूँ ।"

(3) महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण :-

सभा सचिव ने महामहिम राज्यपाल से सह समवेत दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित करने का अनुरोध किया ।

तदुपरांत महामहिम राज्यपाल ने दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित किया ।

(4) अध्यासी सदस्यों का मनोनयन :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने पंचदश विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिए निम्नांकित सभासदों को अध्यासी सदस्य मनोनीत किया :-

(i) श्री हरिनारायण सिंह
(ii) श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह
(iii) श्री राम लषण राम 'रमण'
(iv) श्रीमती गुड्डी देवी

(5) कार्यमंत्रणा समिति का गठन :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने पंचदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिए निम्न प्रकार कार्यमंत्रणा समिति का गठन किया :-

(i)	अध्यक्ष, बिहार विधान सभा,	सभापति
(ii)	श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री,	सदस्य
(iii)	श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री,	सदस्य
(iv)	श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री,	सदस्य
(v)	श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री, संसदीय कार्य,	सदस्य
(vi)	श्री नंदकिशोर यादव, मंत्री,	सदस्य
(vii)	श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी, नेता विरोधी दल,	सदस्य
(viii)	श्री श्रवण कुमार, स०वि०स०	सदस्य

नियमानुसार अध्यक्ष, इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

(6) अनुमत विधेयक का सभा पटल पर रखा जाना :-

सभा सचिव द्वारा बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयक के विवरण को सभा पटल पर रखा गया :-

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2010	16.12.2010

साथ ही सभा सचिव द्वारा सूचित किया गया कि राज्यपाल सचिवालय, बिहार के पत्र में निहित तथ्यों के आलोक में 'बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 तथा पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 जो चतुर्दश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र में बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ था, पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अधीन अपनी अनुमति रोक ली गई है ।

माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दोनों विधेयकों को महामहिम राज्यपाल द्वारा अपनी अनुमति रोके जाने पर माननीय अध्यक्ष महोदय से नियमन देने का अनुरोध किया गया ।

इस पर आसन द्वारा कल मंतव्य दिए जाने की घोषणा की गई ।

(7) शोक प्रकाश :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नांकित जननायकों के निधन पर शोक प्रकट करते हुए दिवगंत आत्मा की चिरशांति एवं शोकाकुल परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की :-

(i)	स्व० राज किशोर केशरी	-	पूर्व सदस्य
(ii)	स्व० बलिराम भगत,	-	पूर्व सांसद
(iii)	स्व० प्रभावती गुप्ता,	-	पूर्व सदस्या
(iv)	स्व० राम सिपाही यादव,	-	पूर्व सदस्य
(v)	स्व० यशोदानन्दन सिंह,	-	पूर्व सदस्य
(vi)	स्व० तेज नारायण झा,	-	पूर्व सदस्य
(vii)	स्व० कृष्ण कुमार मिश्र,	-	पूर्व सदस्य
(viii)	स्व० विश्वनाथ मोदी,	-	पूर्व सदस्य
(ix)	स्व० शिवशंकर यादव,	-	पूर्व सदस्य
(x)	स्व० हरि उप्पल	-	पद्मश्री नृत्य गुरू

तदुपरांत सभी सदस्यों ने एक मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की । माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि शोक संवेदना सम्बंधित शोकाकुल परिवारों के पास भेज दिया जाय ।

तदुपरांत सभा की बैठक बुधवार, दिनांक-23 फरवरी, 2011 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गई ।

पटना
दिनांक-22.02.2011

गिरीश झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रारम्भिक संबोधन

माननीय सदस्यगण,

पंचदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के शुभारम्भ के अवसर पर मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ ।

वर्त्तमान सत्र के दौरान कुल-25 बैठकें होगी, जिनमें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विमर्श के लिए दो दिन, वर्ष 2011-12 के वार्षिक आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श के लिए दो दिन, विभिन्न विभागों के माँगों पर विमर्श के लिए तेरह दिन, राजकीय विधेयक के लिए दो दिन, गैर सरकारी संकल्प के लिए दो दिन, विनियोग विधेयक के लिए एक दिन और तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की माँग के लिए एक दिन प्रस्तावित है ।

बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए आधुनिकीकरण, परिवर्त्तन, नवीनीकरण और ढाचागत विकास अतिआवश्यक है, जिसके सम्बन्ध में आप सभी सदन में अपना बहुमूल्य विचार एवं सुझाव रख सकते हैं ।

जनता की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के प्रति संसदीय प्रणाली को अधिक संवेदनशील और प्रभावशाली बनाना जरूरी है, जिसके लिए लोकतंत्र को जवाबदेह, भागीदारपूर्ण, विचारों के आदान-प्रदान करने वाला और समावेशी बनाए रखना हम सभी का दायित्व है ।

सदन में प्रश्नोत्तर काल के साथ महत्वपूर्ण कार्यवाहियों का आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से सीधा एवं डेफर्ड प्रसारण कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे बिहार के आम-अवाम सदन की कार्यवाही से रू-ब-रू होते रहें ।

पूर्व की भाँति स्कूल के छात्र/छात्राओं को सदन की कार्यवाही दिखलाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे संसदीय प्रणाली में उनकी गहरी अभिरूचि का विकास हो सके ।

मुझे आशा और विश्वास है कि सदन के संचालन में आप सभी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा ।

❄❄❄❄❄